सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	फाल्गुन 12, बुधवार, *शाके* 1942–मार्च 3, 2021 *Phalguna 12, Wednesday, Saka 1942- March 3, 2021*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

गृह (ग्रुप-9) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 01, 2021

संख्या प. 16 (08) गृह-9/2019 :-यतः राज्य सरकार यह समझती है कि जिला जयपुर में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया के 400/220 के वी उपकेन्द्र चाकसू ग्राम महाचन्दपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर को जिसके क्षेत्र का विवरण नीचे वर्णित है, से संबंधित जानकारी या उसका विनाश या उसमें बाधा या उसमें हस्तक्षेप शत्रु को उपयोगी होगा।

इसलिए अब राज्य सरकार एतद्द्वारा शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (1923 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 19) की धारा 2 के खण्ड (8) के उप-खण्ड (घ) सपठित भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 21/20/62 पोल-I दिनांक 04.05.1963 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला जयपुर में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया के 400/220 के वी उपकेन्द्र चाकसू ग्राम महाचन्दपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर को उक्त अधिनियम के अधीन सुरक्षा की दृष्टि से निम्नांकित सीमाओं वाले क्षेत्र को प्रतिषिद् स्थान घोषित करती है।

क्षेत्र का विवरण

क्र.स.	नाम तहसील	ग्राम	रकबा	उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम
1.	जिला जयपुर में तहसील चाकसू	महाचन्दपुरा	16.39 हैक्टेयर	खसरा संख्या 271,272,277 सिवायचक, खसरा नं 273, 274, 275, 276, 278, 279, 280 निजी खातेदारी भूमि, खसरा नं 478, 479, 48, 49 चारागाह भूमि	खसरा संख्या 55/1 जो चारागाह खसरा नं 737 सिवायचक भूमि	राष्टीय राजमार्ग एन0 एच 12 व मुख्य दवार	खसरा संख्या 55/1 चारागाह भूमि

राज्यपाल की आज्ञा से,
वी.सरवन कुमार,
विशिष्ठ शासन सचिव
गृह विभाग।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।